फर्द अहकाम

(नियम 26)

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्री नरेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री मोतीराम<br>निवासी 2बी–64 हाउसिंग बोर्ड<br>वार्ड नम्बर 1 सिरोही<br>जिला सिरोही। | | सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही |

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 07 वर्ष 2023

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.03.2023 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 26.01.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 01.02.2019 से 31.12.2022 तक नागरिक सुरक्षा विभाग(आपदा प्रबन्धन) सिरोही के द्वारा समस्त स्वयं सेवकों की लगाई गई ड्यूटी का पारी वाईज चार्ट की प्रमाणित प्रति एवं 15.04.2021 से 14.05. 2021 तक राजकीय चिकित्सालय सिरोही में कुल 15 स्वयं सेवकों की ड्यूटी आदेश की प्रति एवं उक्त आदेश की पालना में ड्यूटी जॉईन करने एवं नहीं करने वाले स्वयं सेवकों के नाम की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 26.01.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 01.02.2019 से 31.12.2022 तक नागरिक सुरक्षा विभाग(आपदा प्रबन्धन) सिरोही के द्वारा समस्त स्वयं सेवकों की लगाई गई ड्यूटी का पारी वाईज चार्ट की प्रमाणित प्रति एवं 15.04.2021 से 14.05.2021 तक राजकीय चिकित्सालय सिरोही में कुल 15 स्वयं सेवकों की ड्यूटी आदेश की प्रति एवं उक्त आदेश की पालना में ड्यूटी जॉईन करने एवं नहीं करने वाले स्वयं सेवकों के नाम एवं ड्यूटी ज्वाईन नहीं करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, उक्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बेन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना [illegible] हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>(डॉ. भँवर लाल)<br>**जिला कलक्टर, सिरोही** | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:31:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner